राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 1567/2025

श्री अरविन्द कुमार मीना **–अपीलार्थी**

बनाम

1. प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, दौसा।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 24.01.2025

आदेश की दिनांक : 06.03.2025

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री यादवेन्द्र सिंह जादौन, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी ने यह अपील आक्षेपित आदेश अनुलग्नक–1 दिनांक 25.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की है जिसके द्वारा यह शर्त अंकित की गयी है कि ''पूर्व में आदेश दिनांक 07.12.2024 की पालना में कार्यमुक्त होकर समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है तो यह आदेश उन कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा।'', को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

3. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी की नियुक्ति वर्ष 2012 में अध्यापक ग्रेड–तृतीय लेवल प्रथम के पद पर की गयी थी। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 28.11.2022 (अनुलग्नक–6) के द्वारा अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बालाहेड़ी, महवा में पदस्थापित किया गया। जिसकी अनुपालना में अपीलार्थी ने 30.11.2022 को कार्यभार ग्रहण कर लिया था। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 07.12.2024 के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय,

बालाहेड़ी, बैजुपाड़ा से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तालचिड़ी महवा में किया गया। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिशेष अध्यापकों के समायोजन के पश्चात् परिवेदना मांगी गयी जिस पर अपीलार्थी ने भी दिनांक 10.12.2024 को परिवेदना प्रस्तुत कर दौसा ब्लॉक में रिक्त पद पर पदस्थापन का निवेदन किया जिस पर प्रत्यर्थी विभाग ने आलोच्य आदेश द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बालाहेड़ी से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तालचिड़ी, महवा, दौसा कर दिया गया। प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 25.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का संशोधित समायोजन पदस्थापन पश्चात् महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तालचिड़ी, महवा से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बालाहेड़ी, बैजुपाड़ा, दौसा में कर दिया गया। परन्तु उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 25.12.2024 में अंकित शर्त संख्या 2 ''आदेश दिनांक 07.12.2024 की पालना में कार्यमुक्त होकर समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है तो यह आदेश उन कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा।'' की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया। अपीलार्थी का कहना है कि एक तरफ प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिशेष कार्मिकों के संबंध में न्यायालय में प्रकरण दायर करने से पूर्व परिवेदना मांगी गयी एवं अपीलार्थी के परिवेदना प्रस्तुत करने तथा विभाग के आदेशों की पालना करने के बावजूद आलोच्य आदेश में उक्त शर्त जोड दी गयी। अपीलार्थी को उक्त शर्त संख्या–2 के कारण अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया जाना विधि विरूद्ध है।

4. अतः अपीलार्थी ने अनुतोष चाहा है कि अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर आलोच्य आदेश दिनांक 25.12.2024 अनुलग्नक–1 में अंकित शर्त संख्या 2 को निरस्त किया जाकर अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बालाहेड़ी, बैजुपाड़ा में कार्यग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त करने के निर्देश जारी किये जावे।

5. हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

6. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी का पदस्थापन आदेश दिनांक 07.12.2024 द्वारा महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तालचिड़ी, महवा, दौसा किया गया था। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अधिशेष अध्यापकों से समायोजन के पश्चात परिवेदना मांगी गयी प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक

25.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का संशोधित समायोजन पदस्थापन पश्चात् महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, तालचिड़ी, महवा से महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बालाहेड़ी, बैजुपाड़ा, दौसा में कर दिया गया। परन्तु उक्त आलोच्य आदेश में शर्त संख्या 2 में यह अंकित कर दिया गया कि :– ''आदेश दिनांक 07.12.2024 की पालना में कार्यमुक्त होकर समायोजित स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया है तो यह आदेश उन कार्मिकों पर प्रभावी नहीं होगा।'' इस शर्त की पालना में अपीलार्थी को कार्यमुक्त नहीं किया गया जो हमारे मत में मनमाना एवं विधि विरूद्ध है। इस प्रकार लगायी गयी शर्त को अधिकरण ने पूर्व में भी अपील संख्या 1004/2022 टीना बनाम शिक्षा विभाग में अनुचित एवं अवैध मानते हुये कार्मिक को कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करने के निर्देश जारी किये गये है। अतः हमारे मत में अपीलार्थी को उक्त शर्त की आड में अपीलार्थी को पदस्थापन स्थान के लिये कार्यमुक्त नहीं करना अनुचित एवं विधि विरूद्ध है।

7. परिणामस्वरूप अपील अपीलार्थी का निस्तारण इस निर्देश के साथ किया जाता है कि आलोच्य आदेश दिनांक 25.12.2024 अनुलग्नक–1 की पालना में अपीलार्थी को महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, बालाहेड़ी, बैजुपाड़ा में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया जावे।

8. अपील अपीलार्थी उपरोक्त निर्देशों के साथ निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य